श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय),नई दिल्ली-110016

क्रमांक:- एफ3/17/ल.ब.शा./2020-21/2735 दिनांक:- 26.11.2020 01.12.2020

कार्यालय-आदेश

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम (पीएच.डी) में अस्थायी पंजीकरण के सम्बन्ध में।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यावारिधि (पीएच.डी) पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु आनलाईन माध्यम से काउंसिलिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित विभाग में निर्धारित स्थानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अस्थायी पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (विभागानुसार सूची संलग्न है)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम-2016 एवं शैक्षणिक नियम-परिचायिका में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अस्थायी प्रवेश हेतु संस्तुत सभी अभ्यर्थियों को विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा सत्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को सूचित किया जाता है कि 03-12-2020 को 11:00 बजे सत्रीय पाठ्यक्रम की कक्षाओं का शुभारम्भ आनलाईन माध्यम से किया जायेगा, जिसमें सभी छात्रों को उक्त समय पर उपस्थित रहना होगा।

1. शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्रीय पाठ्यक्रम की कक्षाओं का आयोजन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम (गूगलमीट/क्लास) से किया जाएगा। जिसका लिंक एस.एम.एस. के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अध्ययन-अध्यापन हेतु 6 कार्यदिवस (सोमवार से शनिवार तक)/समय सप्ताह के अनुसार कक्षाओं का संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अध्यापकों को समय-सारिणी अनुसार न्यूनतम 5 घण्टे अध्ययन-अध्यापन एवं शोधकार्यों में संलग्न रहना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा का कालांश 60 मिनट का होगा।
4. सभी छात्रों को अस्थाई प्रवेश दिया जा रहा है। शिक्षण अवधि में किसी भी स्तर पर यदि कोई प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, छात्र का नामांकन स्वयं निरस्त हो जायेगा।
5. स्थिति सामान्य होने पर सभी छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों की शैक्षणिक विभाग द्वारा जांच की जाऐगी। प्रत्येक छात्र को अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच कराना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक अवधि के दौरान शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।

विशेष:- ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन एवं निरीक्षण विभागाध्यक्ष-शोध द्वारा किया जायेगा, जिसकी समय-समय पर शैक्षणिक विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करनी अनिवार्य होगी।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष, उपकुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक), उपकुलसचिव लेखा
2. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
3. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
4. छात्रावास अधिष्ठाता
5. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)